न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 107/16 GCMS NO 2016/00087

1. जगनी
2. हल्की
3. भौती
4. कमला पुत्रियान बुध्दू जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. हरि
2. प्रहलाद पिसरान बुध्दू
3. पांची बेवा बुध्दू जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली
4. अशोक पुत्री बुध्दू जाति माली निवासी निवासी बाजीदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 4/16 निर्णय दिनांक 3.10.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री अशफाक अहमद

अभिभाषक रेस्पो0 श्री मुकेश कुमार शर्मा

दिनांक 19.02.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 3.10.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांटगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा न0 781,782,783,784,780 वाके पांडे के कुआ करौली तहसील व जिला करौली मे स्थित है। जिसके रिकार्डेड खातेदार पक्षकार है। सायलान व गैरसायलान दर्ज प्रार्थना पत्र आपस मे भाई बहिन है व मां है तथा विवादित आराजीयात मे जो हिस्सा रिकार्ड मे बुध्दू के वारिसान के रूप मे हरि, प्रहलाद,जगनीबाई,हल्की,द्रोपती व भौती व कमल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसमे हम बराबर बराबर के हिस्सेदार है व काबिज है। गैरसायलान 1 ता 4 के दिल मे बदनियती आने लगी और वह पैसे के लालच मे हम सायलान हकूक से इंकार करने लगे तथा हम सायलान द्वारा बंटवारे की कहने पर बंटवारे से इंकार कर दिया तथा जमीनो को बेचनें की धमकी दे दी । जिसके कारण सायलान दिनांक 8.2.16 को इजलास श्रीमान मे दावा बंटवारा व हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया जिसका उनवान जगनी बनाम हरि वगै0 है। जिसका मु0न0 3/16 है। जिसमे नोटिस हरि वगै0 को जारी किये गये है। उक्त दावे के नोटिस गैरसायलान को मिलने पर उनके द्वारा भूमि को रहन बय करने की धमकी दी गई तथा भू माफिया धाक्कर काट रहे है। पक्षकारान के मध्य अभी बंटवारा नही हुआ है तथा बंटवारे से पूर्व ही यदि गैरसायलान ने अपना हिस्सा किसी दीगर अजनबी व्यक्ति को रहन बय कर दिया तो अशांति फैलने व मल्टी पिलिस्टी ऑफ सूट बढने की पूर्ण संभावना है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्तियो को रहन बय कब्जा मुन्तकिल नही करने हेतु हुक्म स्टे जारी किया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायलान को इस अमर से पाबंद किया जावे कि यह बंटवारे से पूर्व वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय व मुन्तकिल किसी प्रकार से नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 100/–रूपये के अनरजिस्टर्ड स्टाम्प जिसका कानूनी कोई महत्व नही है को मानकर फैसला हाजा सादिर किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांटगण रिकार्डेड खातेदार है तथा बुध्दू के वारिसान के बतौर कलेक्टर साहब के आदेश से खातेदार बने है तथा संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ हरि,प्रहलाद ने मिली भगत कर धोखे मे डालकर लिखापढी कर हमारे अंगूठा कसाकर फैसला करा लिया जिसकी कार्यवाही रेवेन्यू बोर्ड मे चल रही है। संभागीय आयुक्त के अनरजिस्टर्ड व गैर कानूनी कागज को रिलीज डीड गैर कानूनी तौर पर माना है। बंटवारा हुए वगैर हस्तान्तरण डीड के वगैर हकूक मौजूदा हालात मे नही होते है इस तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नही किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अंतिम निर्णय की फाईण्डिग दे दी है जबकि स्टे की स्टेज पर अंतिम निर्णय जैसा फैसला देना चाहिए। अपीलांटगण अनपढ व गरीब है ऐसी सूरत मे अदालत मातहत ने रिकार्ड को गौर नही किया तथा प्रथम दृष्टया मामला सायलान/अपीलांटगण के हक मे होने व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के हक मे तमाम तथ्य जो टी आई स्टेज पर दिये वह दावे मे तय होते है परन्तु स्टे स्टेज पर ही अंतिम निर्णय करने मे कानूनी भूल की है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.16 को अपास्त किया जावे तथा मौके एवं रिकार्ड की दायरी दावे की स्थिति को यथावत रखा जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण/सायलान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को हडपने व रूपये ऐठने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पो0 द्वारा खसरा न0 801,802,809 व 822 का विक्रय करते समय रेस्पो0 द्वारा अपीलांटगण को 3–3 लाख रूपये देकर 100/–रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तहरीर व तकमील कराया है जिस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा चालाकी पूर्वक अब हमारे बचे हुए खसरा न0 की भूमि को हडपने की बदनियती से यह झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से तहत खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण/सायलान द्वारा रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि के सबंध मे जिला कलेक्टर करौली के यहॉ एक अपील पेश की थी जिसे श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड की गई थी। तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 17.11.2011 को अपील की सुनवाई कर सायलान/अपीलांटगण के पक्ष मे नामा0 खोले जाने के आदेश दिये गये जिसकी अपील संभागीय आयुक्त के यहॉ की गई जिसमे अपीलांट/सायलान द्वारा दिनांक 23.2.12 को राजीनामा पेशकर बुध्दू की सम्पति मे से अपना हक त्यागकर सम्पूर्ण हक रेस्पो0 के हक मे त्याग कर दिया। जिस पर संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.3.16 को जिला कलैक्टर करौली का निर्णय दिनांक 24.10.11 व तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 17.11.11 को निरस्त कर नामा0 संख्या 793 दिनांक 14.8.96 को यथावत रखने के आदेश दिये गये। इस प्रकार उक्त आराजीयात मे अपीलांटगण का कोई हक हकूक शेष नही है। अपीलांट/सायलान द्वारा बेईमानी पूर्वक झूठे तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ विचाराधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के दौरान उक्त आराजीयात को बेचान राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र हुकम चंद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कालोनी करौली को किया गया उक्त बयनामा को निरस्त कराने हेतु जिला जजी करौली के यहॉ गैरसायलान द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पो/गेरसायलान द्वारा राजेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक 5.1.15 को हम रेस्पो0/गैरसायलान हरि,प्रहलाद,पांची द्वारा 23 लाख 50 हजार रूपये देकर राजीनामा किया और राजेन्द्र कुमार शर्मा के हक मे हुए बयनामा को निरस्त कराया। राजेन्द्र कुमार शर्मा बयनामा कराते समय जो विक्रय कीमत 13 लाख 50 हजार रूपये प्राप्त किये थे वे भी राशि अपीलांटगण के पास है। राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा से जो राजीनामा रेस्पो0 द्वारा अपील किया गया है उस आधार पर भी उक्त आराजीयात मे अपीलांटगण का कोई हक हकूक शेष नही रहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांटगण द्वारा किये गये राजीनामा एवं सम्पूर्ण तथ्यो का अवलोकन किया जाकर ही सायलान/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत अपीलांटगण द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे 100/–रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिखा गया है। जिसमे अपने हिस्से की भूमियो को रेस्पो0/गैरसायलान को नकद रूपये लेकर सहमति दी गई है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत अपीलांटगण/सायलान द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ दिनांक 23.2.23 को उक्त आराजीयात मे से अपना हिस्सा त्याग करने का भी राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा तस्दीक हुआ है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध राजीनामा से होती है जिस पर विधिवत रूप से अपीलांटगण के फोटोग्राफ चस्पा है। तत्पश्चात माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा राजीनामा अनुसार पूर्व नामा0 संख्या 793 दिनांक 14.6.96 को यथावत रखा गया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति निर्णय दिनांक 18.3.16 से होती है। अपीलांटगण का बार बार कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। जबकि अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया केस साबित नही होता है तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांटगण द्वारा किये गये राजीनामे के दृष्टिगत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 4/16 मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर